

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/

प्रार्थीगण

बनाम

30/5

अप्रार्थीगण

दिनांक -

30/05/23

1 जितेन्द्र पुत्र राणाराम  
2 शांतिदेवी पत्नी  
राणाराम जाति माली  
निवासी उदय नगर  
बाड़मेर मगरा तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

1 ईश्वरसिंह 2 जबरसिंह 3 लालसिंह पिसरान कमलसिंह 4  
कैकूकंवर पत्नी कमलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी उदय  
नगर 5 रूपाराम पुत्र बीजाराम जाति माली निवासी चौहटन रोड  
हमीरपुरा 6 दुर्गाराम पुत्र भीखाराम जाति माली निवासी उदय  
नगर 7 चम्पालाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी बलदेव  
नगर 8 बालाराम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी उतरलाई 9  
हंसराम पुत्र उकाराम जाति माली निवासी मेघवालों का वास  
गायत्री चौक बाड़मेर 10 विजय कुमार पुत्र शेराराम सुथार  
निवासी राय कॉलोनी बाड़मेर 11 कानूदेवी पत्नी मगाराम जाति  
जाट निवासी गांधी नगर बाड़मेर 12 चन्द्रकिरण पत्नी बालाराम  
गोदारा जाति जाट निवासी उतरलाई 13 अन्तरीदेवी पत्नी  
जगदीश जाट 14 नीम्बादेवी पत्नी अन्नाराम जाति जाट निवासी  
कुडला रोड रामनगर बाड़मेर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 194/2022

दिनांक- 21/04/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा उदय नगर पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर के खसरा संख्या 2450/132 रकबा 0.9227 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2449/132 रकबा  
0.9227 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2510/130 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने  
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये  
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 30/05/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 30/6-19  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जितेन्द्र पुत्र राणाराम वगैराह जाति माली निवासी उदय नगर बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी ईश्वरसिंह पुत्र कमलसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी उदय नगर बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर